

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या: 247 / 1जी-FP/UK/ROAD/16974/2015 देहरादून: दिनांक 20 अप्रैल, 2016

शुभादि

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी ( अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.5375 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव FP/UK/ROAD/16974/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5.00 हे० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति हे० 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,  


(एस०टी०एस० लेप्चा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/16964 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, टाँस वन प्रभाग, पुरोला।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

(एस०टी०एस० लेप्चा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)  
परियोजना का नाम:

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी ( अवशेष भाग का विस्तार)  
मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.5375 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव  
FP/UK/ROAD/16974/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु टैंस वन प्रभाग, पुरोला 3.9825 है० आरक्षित वन भूमि, 0.2925 हे० सिविल सोयम वन भूमि अर्थात् 4.5375 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टैंस वन प्रभाग, पुरोला तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5.00 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेफ्टा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : 20 / 07 / 2016

स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून